नवप्रवर्त्तन कोषांग (Innovation Cell), उद्योग विभाग (उद्योग मित्र) द्वारा किये गये कार्यों का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन

1. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 710 दिनांक 10.02.2015 के आलोक में उद्योग विभाग में श्री विमल कुमार, संयुक्त उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को नवप्रवर्त्तन कोषांग का प्रभारी नामित किया गया है। पुनः योजना एवं विकास विभाग के आदेश सं० 6349 दिनांक 30.12.2015 द्वारा उद्योग विभाग में भी उपसमिति गठित की गई है।

2. कोषांग प्रभारी श्री विमल कुमार के निर्देशन में कोषांग का कार्य करने हेतु उद्योग मित्र के पदाधिकारियों को नामित किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों का मोबाईल न० भी योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

3. नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार हेतु "मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना" नामक ब्रोशर (प्रतिवेदन के साथ संलग्न) मुद्रित कराकर प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को ब्रोशर उपलब्ध कराते हुए जिलों में हो रहे नवाचार/नवप्रवर्त्तन को प्रोत्साहित करने एवं इसकी सूची उद्योग मित्र को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4. उद्योग मित्र द्वारा शीघ्र ही मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु सेमिनार आयोजित करने का भी कार्यक्रम है।

5. नवप्रवर्त्तन के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु योजना की जानकारी उद्योग मित्र एवं उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न आयोजित मेलों में लगाये गये स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है।

6. उद्योग मित्र कार्यालय में एक अन्वेषणकर्त्ता श्री इन्द्रदीप कुमार, पिता श्री रमेशचन्द्र लाल दास, दिवानी तकिया, कटहलवाड़ी, दरभंगा, मो० 09425502122 द्वारा ऑटो सोलर कार एवं पानी से चलने वाले जेनरेटर निर्माण संबंधित अन्वेषण का दावा किया गया था जिसे विचार करने हेतु मूल आवेदन पत्र, अनुलग्नक सहित योजना एंव विकास विभाग को भेजा गया है।

7. दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद् की कार्यकारणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5(ग) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में सभी जिलों के जिला उद्योग केन्द्र में Innovation Cell के गठन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को पत्र भेजा गया तथा अधिकत्तर जिला उद्योग केन्द्र में Cell का गठन भी हो चुका है।

8. दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद् की कार्यकारणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5(घ) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में नवप्रवर्त्तन कोषांग, उद्योग विभाग (उद्योग मित्र), बिहार द्वारा किये गये कार्यो का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन (Write up) तथा उद्योग मित्र द्वारा मुद्रित कराये गये **मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना** ब्रोशर की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु डा० अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है।

9.(क) दिनांक 02.02.2017 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अध्यक्षता में राज्य नवप्रवर्तन पर्षद के उद्योग प्रक्षेत्र के उपसमिति के बैठक में निम्न नवप्रवर्तन के संबंध में निर्णय लिया गया। श्री सुनील कुमार, ग्राम रामबाग, पो० शिवगंज, जिला भोजपुर, मो० न० 7070226529 के Innovation की समीक्षोपरान्त श्री सिंह को Magnet Flux Jet Engine का Prototype निर्माण करने हेतु संभावित व्यय 1,00,000/– वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुसंशा की गई और प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया।

(ख) श्री गोविन्द शर्मा, ग्राम+पो०– पीरपोखर, भाया–चोरौत, जिला–मधुबनी द्वारा "Self Acting Lead Battery Charge" की उपयोगिता एवं संभाव्यता के आकलन हेतु राष्ट्रीय प्रावैधिकी संस्थान, पटना के Electrical Deptt. वे विभागाध्यक्ष से मंतव्य प्राप्त करने हेतु भेजा गया।

(ग)श्री विरेन्द्र पटेल, ग्राम+पो०– सरोवर, हनुमान चौक, मोतिहारी द्वारा मच्छर मारने संबंधित रसायनयुक्त युक्ति के संभाव्यता एवं उपयोगिता के संबंध में मंतव्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीयता प्रावैधिकी संस्थान, पटना के रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजा गया।